संचिका संख्या– 1/उ0(स0)यो0स्वी0(रेशम)– 02/12 552

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पटना, दिनांक– 10/2/14

संकल्प

विषय :– कुल लागत रु0 1,70,90,12,000/– (एक अरब सत्तर करोड़ नब्बे लाख बारह, हजार) मात्र पर स्वीकृत मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना (2012–13 से 2016–17) में संशोधन।

उद्योग विभाग के संकल्प सं0 2316 दिनांक 14.05.12 के द्वारा उक्त परियोजना की स्वीकृति दी गई है। मजदूरी की दर में वृद्धि के साथ–साथ कतिपय तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलोर, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के साथ विमर्शोपरान्त उक्त परियोजना के निम्न बिन्दुओं पर संशोधन की स्वीकृति दी जाती है :–

(i) इस परियोजना का कार्यान्वयन, क्षेत्र में स्थापित तसर अग्र परियोजना केन्द्रों के द्वारा किया जाना था। इसके अतिरिक्त जिन जिलों में Bihar Rural Livelihood Promotion Society (BRLPS) जीविका का SHG कार्यरत है, अब उनके द्वारा भी कार्यान्वित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। जहाँ SHG उपलब्ध नहीं है, वहाँ पंचायत/ Joint Forest Management Group के द्वारा भी कार्यान्वयन कराया जाएगा।

(ii) स्वीकृत योजना में अंकित चार जिलों यथा– बांका, मुंगेर, नवादा एवं कैमूर के अतिरिक्त जमुई/गया/उत्तरी बिहार के जलजमाव क्षेत्र में जहाँ अर्जुन एवं आसन के वृक्षारोपण की संभावना है/मधुबनी एवं प0 चंपारण जिलों में पड़ने वाले विलोपित रेशम फार्मो में भी तसर खाद्य–पौधा रोपण करने की स्वीकृति दी गई है। अन्य जिलों में जहाँ तसर उद्योग की संभावनाएं हैं, में भी योजना को लागू करने के संबंध में उद्योग विभाग स्वयं निर्णय ले सकता है।

(iii) पूर्व स्वीकृत योजना में सहायक उद्योग निदेशक(रेशम) की अध्यक्षता में गठित क्षेत्रीय अनुश्रवण समूह (FLMG) में भी आंशिक संशोधन करते हुए संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी को समिति का अध्यक्ष एवं संबंधित जिले के वन प्रमण्डल पदाधिकारी को सदस्य के रुप में रखा जाएगा।

(iv) वनभूमि में वृक्षारोपण कार्य वन विभाग द्वारा उनके अधिसूचित दर पर किया जाएगा।

seri sanlekh123

(v) निजी भूमि / सार्वजनिक भूमि में वृक्षारोपण के लिए राशि का आवंटन अग्र. परियोजना पदाधिकारी के अतिरिक्त जिन जिलों में जीविका / संयुक्त वन प्रबंधन समूह (JFM) उपलब्ध है, वहाँ वृक्षारोपण की राशि उन्हें भी उपलब्ध करायी जाएगी।

(vi) निजी भूमि / सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण के लिए लाभुकों को केन्द्रीय रेशम बोर्ड के मानक के अनुसार सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी एवं लाभुक अंशदान भी प्राप्त किया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि के अनुरुप इकाई लागत में भी वृद्धि होगी। फलस्वरुप भौतिक लक्ष्य में कमी होगी।

(vii) सार्वजनिक भूमि पर संबंधित पदाधिकारी की अनुमति से तसर वृक्षारोपण कराया जाएगा तथा इसपर कीटपालन करने की अनुमति दी जाएगी। वनों में उपलब्ध तसर खाद्य–पौधों पर कीटपालन करने वाले को भी परियोजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए वन विभाग द्वारा पहचान पत्र भी निर्गत किया जाएगा।

(viii) पूर्व में स्वीकृत परियोजना लागत एवं अवधि अपरिवर्तित रहेगा।

2. प्रस्तावित राशि का व्यय मुख्य शीर्ष– 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 107–रेशम उत्पादन उद्योग, माँग संख्या–23, उप शीर्ष–0101–पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना रेशम का विकास, विपत्र कोड– P2851001070101, राज्य योजना स्कीम कोड– IND-5444 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्ष एवं मुख्य शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–23, उप शीर्ष–0105–पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना रेशम का विकास, विपत्र कोड– P2851007890105, राज्य योजना स्कीम कोड– IND-5444 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्ष से विकलित होगी।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतिलिपियाँ सभी प्रधान सचिव / सचिव / प्रमंडलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका / मुख्य वन संरक्षक / वन प्रमंडल पदाधिकारी / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

7.2.2014

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

seri sanlekh123

ज्ञापांक– 1/उ0(स0)यो0स्वी0(रेशम)– 02/12 552 पटना, दिनांक– 10/2/14
प्रतिलिपि– सभी प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका/मुख्य वन संरक्षक/वन प्रमंडल पदाधिकारी/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.2.2014
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1/उ0(स0)यो0स्वी0(रेशम)– 02/12 552 पटना, दिनांक– 10/2/14
प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, के0रे0बो0 प्रकीर्ण, बी0टी0एम0 लेआउट, माडिवाला, बेंगलुरु/ निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/ सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), पटना/भागलपुर/मुजफ्फरपुर/पूर्णिया/अग्र परियोजना पदाधिकारी, इनारावरण कटोरिया, बांका/श्याम बाजार, बांका/गंगटामोड़, मुंगेर/कौवाकोल, नवादा/अधौरा, कैमूर/सहायक सचिव(तक0), क्षेत्रीय कार्यालय केन्द्रीय रेशम बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.2.2014
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1/उ0(स0)यो0स्वी0(रेशम)– 02/12 552 पटना, दिनांक– 10/2/14
प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.2.2014
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1/उ0(स0)यो0स्वी0(रेशम)– 02/12 552 पटना, दिनांक– 10/2/14
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र की 500 मुद्रित प्रतियाँ उद्योग विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाए।

7.2.2014
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।